COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर, सदस्य
खण्डपीठ रीवा, म0प्र0

निगरानी 158-III-15

राजेन्द्र प्रसाद ब्रा0 तनय श्री तेजभान प्रसाद ब्रा0 निवासी ग्राम दिनापुर तह0 अमरपाटन, जिला सतना म0प्र0 ---------आवेदक/अपीलार्थी

बनाम्

मु0 सुमित्री बेवा श्री राममिलन ब्रा0 निवासी ग्राम दिनापुर तह0 अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 -------रेस्पा0

श्री विकास मिश्रा एड द्वारा आज दिनांक 05-01-16 को प्रस्तुत किया गया। रीडर बोर्ड रीवा

निगरानी विरूद्ध राजस्व निरीक्षक मौहारी कटरा, तह0 अरपाटन जिला सतना म0प्र0 प्रकरण कमांक 14/अ-12/2013-2014 आदेश दिनांक 07/08/2014 निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्वसंहिता 1959 ई

क्रमांक 4229 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 12-1-16 को प्राप्त। रीडर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

संक्षिप्त तथ्य

भूमि खसरा कमांक 750/2 रकवा 0.089हे., स्थित ग्राम दिनापुर राजस्व निरीक्षक मौहारी कटरा, तह0 अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 का सीमांकन मु0 सुमित्री देवी पत्नी श्री राममिलन ब्रा0 के आवेदन पर पटवारी हल्का द्वारा किया जाकर प्रतिवेदन दिनांक 29/06/2014 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें उक्त भूमि के सरहद्दी कास्तकार निगरानीकर्ता ने दिनांक 30/06/2014 को उक्त सीमांकन पर आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सीमांकन अवैध व विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने का प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय आपत्ति आवेदन पर वैधानिक सुनवाई न कर निगरानीकर्ता को बचाव का अवसर व सुने बगैर आपत्ति निरस्त कर दी गई, जिसके विरूरूद्ध यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के आधार निम्नलिखित है

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही व पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

राजेन्द्र प्रसाद

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-168/III/15 .... जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	राजेन्द्र प्रसाद / देव मिश्रा कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.8.15	आवेदक अभिभाषक श्री विकास मिश्रा उपस्थित। आवेदक अभि० को प्रकरण ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अभि० द्वारा तर्कों में बतलाया गया कि प्रकरण में मुख्य विवाद बिना नक्शा तरमीम (बिना बटांकन) के सीमांकन किये जाने से उत्पन्न हुआ है। अनावेदक द्वारा ~~[illegible]~~ प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर पटवारी द्वारा दिनांक 29-6-14 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में आवेदक ने दिनांक 30-6-14 को आपत्ति प्रस्तुत कर दी जो बिना सुनवाई का अवसर दिये खारिज कर दी गई तथा पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने आदेश दिनांक 7-8-14 से सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि की गई। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बतलाया गया कि विवादित सर्वे क्रमांक 750 है जिसमें बटांकन न होने से तथा नक्शा तरमीम न होने से 750/2 रकबा 0.089 हे० का सीमांकन नहीं किया जा सकता क्योंकि सर्वे नं० में 750/2 का स्थान निर्धारित नहीं है यह सीमांकन रिपोर्ट के संलग्न नक्शे से भी स्पष्ट है। आवेदक को बिना बयान का अवसर दिये सीमांकन किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। सरहदी काश्तकारों को सूचना भी नहीं दी गई है। सीमांकन प्रतिवेदन निरस्त करने एवं निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य करने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत तर्कों के क्रम में सम्पूर्ण प्रकरण पत्रिका का अवलोकन किया गया एवं निग(रा)	

[कृ. प. उ.

R. 1508/III/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	राजेन्द्र / [illegible] सतना	
3/8/15	मिसल के संलग्न सीमांकन आदेश एवं सर्वे क्रमांक 750 के नक्शे का अवलोकन किया गया। नक्शे के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सर्वे नं. 750 में बटांकन होकर नक्शे में तरमीम नहीं की गई है जिससे सीमांकन हेतु आवेदित सर्वे क्रमांक 750/2 का स्थान नियत न होने से सीमांकन विधि अनुकूल नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में बिना बटांकन किए तथा नक्शा तरमीम के किया गया सीमांकन आदेश दिनांक 7-8-2014 स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्षों सहित सरहदी काश्तकारों तथा सर्व संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों सूचना देकर विवादित सर्वे क्रमांक 750/2 का बटांकन एवं नक्शा तरमीम किया जावे तत्पश्चात संहिता में निहित प्रावधानों के तहत सीमांकन की कार्यवाही की जावे। उक्त निर्देशों के साथ निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	